

बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइनेन्सियल कारपोरेशन लि० पटना

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

34, हार्डिंग रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001 Ph: 0612-2204975) Fax : 0612-2215994

(Email=minocorpatna@gmail.com. website:www.bsmfc.org)

संचिका संख्या रो.ऋण.-3-69/22 बी० एस० एम० एफ० सी०, /

दिनांक:

स्वीकृत्यादेश

निगम के ज्ञाप संख्या-1197 दिनांक-23.07.2018 के आलोक में राज्य सम्पुष्टि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना 2020-21 एवं 2021-22 अन्तर्गत सुपौल जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा दिनांक-17.06.2022 से 01.07.2022 को चयनित वृहद ऋण क्र.सं-01 तक के आवेदकों का प्रमण्डलीय प्रभारी एवं सहायक निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण, सुपौल द्वारा त्रुटिहीन दस्तावेजीकरण एवं स्थल जाँच निष्पादित करा कर ऋण को स्वीकृति देने के लिए निगम मुख्यालय को भेजा गया है । सहायक निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण, सुपौल के द्वारा की गई अनुशांसा के आधार पर कुल 01 लाभुकों को उनके नाम के सामने अंकित ट्रेड में 5% प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दर्शाये गए ऋण राशि की स्वीकृति दी जाती है । साथ ही विभागीय पत्र संख्या 2127 दिनांक 05.12.2018 के तहत RTGS/NEFT के माध्यम से ऋण राशि भुगतान करने हेतु प्राप्त निदेश के आलोक में स्वीकृत ऋण राशि में से 0.5% प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में कटौती करने के पश्चात नीचे शुद्ध भुगतान के स्तम्भ में दर्शाई गई राशि सीधे सम्बन्धित लाभुक के आधार कार्ड आच्छादित बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से अंतरित करने के लिए आदेश दिया जाता है :-

Sl. No	चयन सूची क्र.सं	आई० डी० संख्य	Appl_Name / F/H_Name & Address	Bank A/c No.	Trade	Sanctioned Loan Amount	Less 0.5% Processing Charge	Embossing Charge-2030/-	Net Payable Amount
i.	1	SPL 0648	AARFA KHATOON, W/o- MD ASALAM PRAVEZ, Vill.- KHOKHNAHA, WD. NO. 16, Block-MARUNA, PS-MARUNA, PO-KHOKHNAHA, Distt.-SUPAUL-852131, Mob,9939103706	A/c No.:- 46550100007484 BARBOSUPAUL	MURGI FORM	300000	1500	2030	296470
TOTAL						300000	1500	2030	296470

स्वीकृत ऋण राशि में वर्णित ट्रेड में लाभार्थी द्वारा परिसम्पत्तियाँ/सामग्रियों का क्रय 30 दिनों के अन्दर में निश्चित रूप से कर लिया जाना है तथा ऋण राशि से सृजित की गयी परिसम्पत्तियाँ अथवा क्रय की गयी सामग्रियों की भौतिक जाँच सहायक निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण, सुपौल द्वारा अपने पर्यवेक्षण में किसी कर्मी से कराते हुए आंकड़ा संधारित करेंगे एवं प्रतिवेदन की एक प्रति निगम मुख्यालय को भी उपलब्ध करायेंगे ।

उक्त स्वीकृत ऋण को ऋणधारक द्वारा ब्याज सहित 20 सामान त्रैमासिक किस्तों अर्थात् 5 वर्षों में वापस किया जाना है ।

ह0/-

प्रबंध निदेशक

दिनांक: 09-10-2023

ज्ञापांक:-रो.ऋण.-3-69/22-----

प्रतिलिपि:-सहायक निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । आपके द्वारा जाँचोपरान्त प्राप्त 01 दस्तावेज/अभिलेख को ऋण की स्वीकृति दी गई है । भविष्य में दस्तावेज/अभिलेख में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो सारी जिम्मेवारी आपकी होगी ।

सहायक निदेशक